

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक
कलक्टर, सिणधरी

क्रमांक:- ग्रा. से.शि/2025/ 260

प्रकरण सं:- 226
दिनांक:- 01.10.2025

आदेश

प्रार्थी के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी चाडे वीरान व भू.अ.
नि. सिणधरी की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिणधरी की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम चाडे वीरान
तहसील सिणधरी व जिला बालोतरा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 में खाता संख्या 105
में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	खसरा नम्बर	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	चाडे वीरान	239	773	खीरान पुत्र गुणेशाराम	खीरानाम
		181	505, 636, 653, 734	खीरानाम पुत्र गुणेशाराम	स/० गुणेशाराम
		30	528, 533, 534, 535, 536, 537, 538	खीरानाम पुत्र गुणेशाराम	
2	दोड	105	46, 72, 75	खीरानाम पुत्र गुणेशाराम	

समदरसिंह भाटी
(समदरसिंह भाटी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी
दिनांक:- 01.10.2025

क्रमांक:- सम./2025/ 261-62
प्रतिलिपि:-

- तहसीलदार सिणधरी को भेजकर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालन रिपोर्ट उपलब्ध करावें।
- प्रार्थी खीरानाम गुणेशाराम तहसील सिणधरी को सूचनार्थ।
- रक्षित पत्रावली।



समदरसिंह भाटी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर सिणधरी